भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 2944**

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**प्रवासी सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना**

**2944 श्रीमती सुलता देव:**

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ओडिशा से विदेश में रोजगार और शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों, पेशेवरों और कामगारों के लिए एक प्रवासी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार रखता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**

**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) तथा (ख) ओडिशा में प्रवासी सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, विदेशों में रोजगार के इच्छुक भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं।

भारत के उत्प्रवासी महासंरक्षक (पी.जी.ई.) असुरक्षित उत्प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और संरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पी.जी.ई., भुवनेश्वर, ओडिशा स्थित कार्यालय सहित 17 उत्प्रवासी संरक्षकों (पी.ओ.ई.) के कार्यालयों के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं, शिकायतों को पंजीकृत करते हैं तथा विदेशों में कार्यरत उत्प्रवासी भारतीय श्रमिकों को सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (के.पी.एस.के.) विदेशों में रोजगार से संबंधित मामलों के संबंध में भारतीय उत्प्रवासियों और उनके रिश्तेदारों को सहायता, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करते हैं।

*****